



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-01122025-268106
CG-MP-E-01122025-268106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/ अग्रहायण 6, 1947

No. 5281]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/ AGRAHAYANA 6, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जबलपुर, 27 नवम्बर, 2025

का.आ. 5462(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008), की धारा 20 (च) के खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य के, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले व स्तम्भ (4) उल्लेखित तहसील में विशेष रेल परियोजना “ (इटारसी – कटनी सेक्शन के अंतर्गत डुन्डी – स्लीमनाबाद स्टेशनों के मध्य समपार फाटक क्रमांक – 344 रेलवे कि.मी. 1052/7-8 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण) ” के संबंध में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आर्बीट्रटर के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम. सं.	आर्बीट्रेटर	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कलेक्टर	कटनी	स्लीमनाबाद

[फा. सं. WCR-JBPC0ENGC(DRG)/4/2025-O/oDyCE/C-II/JBP/344/20 F(6)]

जोन सिंह मीना, मुख्य अभियंता/नि-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Jabalpur, the 27th November, 2025

S.O. 5462(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Central Government, hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, in respect of the Special Railway Project of “**(Construction of Road Over Bridge (ROB) in Lieu of LC No. 344 at KM 1052/7-8 between Dundi - Sleemnabad Stations in Itarsi - Katni Section)**” in the state of Madhya Pradesh, relating to the district mentioned in column (3) & Tehsil mentioned in column (4) of the table given below for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Arbitrator	District	Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Collector	Katni	Sleemnabad

[F. No: WCR-JBPC0ENGC(DRG)/4/2025-O/oDyCE/C-II/JBP/344/20 F(6)]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV